भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-829
उत्तर दिनांक 04/02/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

829. श्री राजीव राय

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित विद्युत की वर्तमान क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ताप विद्युत के विकल्प के रूप में वर्तमान परमाणु ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले दस वर्षों के दौरान विभिन्न ऊर्जा स्रोतों (नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों) का उपयोग करते हुए देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्तमान में**,** देश में 8,780 मेगावाट की कुल क्षमता के 24 नाभिकीय विद्युत संयंत्र (आरएपीएस-1 को छोड़कर**,** जो विस्तारित शटडाउन के अधीन है) वाणिज्यिक रूप से प्रचालनरत हैं।

(ख) वर्तमान में, सरकार का तापीय ऊर्जा के प्रतिस्थानिक के रूप में नाभिकीय विद्युत क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, सरकार ने सीईए, एनपीसीआईएल और एईआरबी के अधिकारियों को मिलाकर स्थायी स्थल चयन समिति की एक उप-समिति का गठन किया है, जो नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए मौजूदा तापीय विद्युत संयंत्र स्थलों (जिन संयंत्रों की सेवा समाप्त होने का प्रस्ताव है) की उपयुक्तता की जांच करेगी।

(ग) वर्ष 2034-35 में बिजली की अत्यधिक मांग और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता क्रमशः 446 गीगावाट और 3215 बिलियन यूनिट तक पहुंचने की आशा है। इस अनुमानित बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, वर्ष 2034-35 में आवश्यक संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 327 गीगावाट तापीय, 22 गीगावाट नाभिकीय और 679 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (जिसमें 73 गीगावाट बड़े जलविद्युत, 447 गीगावाट सौर, 138 गीगावाट पवन और 21 गीगावाट बायोमास और छोटे जलविद्युत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा शामिल हैं) को मिलाकर लगभग 1029 गीगावाट होगी। इसके अलावा, वर्ष 2034-35 तक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) और पंप भंडार संयंत्रों

(पीएसपी) की संभावित संस्थापित क्षमता क्रमशः लगभग 99 गीगावाट और 62 गीगावाट होगी।

सीओपी26 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट संस्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा, भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से अपने संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता लक्ष्य का 50% जून, 2025 के दौरान अर्थात हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं और कई पहल की हैं।

*****